राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. (SAPS-MP)

(मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की पंजीकृत संस्था)

State Agency for Public Service, M.P.

(A Regd Agency of Govt. of M.P. Under Deptt. of Public Service Management)

क्रमांक:-1277/रा.लो.से.अ./प्रशासन/2019 **भोपाल, दिनांक 06/08/2019**

प्रति,

कलेक्टर,

समस्त जिले (म.प्र.)

विषय:- लोक सेवा केन्द्रों के संचालन हेतु निविदा विषयक |

संदर्भ:- 1. लोक सेवा प्रबंधन विभाग का पत्र क्र 6-8/2019/लोसेप्र/61, दिनांक 01/03/2019

2. राज्य लोक सेवा अभिकरण का पत्र क्र 817(A), दिनांक 11/06/2019

---000---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र 2 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमे लोक सेवा केन्द्रों के संचालन हेतु टेंडर/निविदा कार्यवाही को यथास्थिति में रखे जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में लोक सेवा केन्द्रों की निविदा प्रक्रिया को निम्नानुसार कार्यवाही करते हुए पुन: प्रारंभ किया जाये –

1. यदि निविदाकार व्यक्ति न होकर कोई कंपनी/फर्म/समिति है एवं निविदाकार द्वारा EMD के स्थान पर MSME/NSIC का उपयोग/लाभ लिया गया है,तो Net Worth Certificate भी सबंधित कंपनी/फर्म/समिति के नाम से होना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बिड व्यक्ति विशेष की न होकर कंपनी/फर्म/समिति के नाम से है । अत: इसका पालन नहीं होने पर निविदा निरस्त की जावे।

2. चार्टेड एकाउंटेंट (CA) द्वारा जारी नेटवर्थ सर्टिफिकेट में UDIN अनिवार्य होना चाहिए, जिससे उसकी वैधता को वेरीफाई किया जा सके । इसका पालन नहीं होने पर निविदा निरस्त की जावे।

3. लोक सेवा केन्द्रों की निविदा अंतर्गत तकनीकी मूल्यांकन एवं अन्य कार्यवाही समस्त जिलों में एकरूपता से हो, इसके लिए अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

4. जिन जिलों में निविदाकार का चयन किया जा चुका है, वहाँ यदि निविदाकार निविदा अंतर्गत समस्त शर्तों को पूर्ण करता हो तो वहाँ शेष प्रक्रिया (Letter Of Acceptance एवं अनुबंध) पूर्ण की जाए। (बिंदु क्रमांक 7 के पालन पश्चात)

5. यदि चयनित निविदाकार शर्तें पूरी नहीं करता हो, वहाँ लॉटरी से चयनित द्वितीय निविदाकार का चयन किया जाए, जहाँ लॉटरी के दौरान द्वितीय निविदाकार का चयन नहीं किया गया है वहाँ निविदा अंतर्गत निर्धारित शर्तों अनुसार पुन: मूल्यांकन की कार्यवाही कर निविदाकार का चयन किया जाये।

6. शेष समस्त जिले, जहाँ टेंडर अंतर्गत मूल्यांकन की कार्यवाही प्रचलन में थी, वहाँ निविदा अंतर्गत निर्धारित शर्तों अनुसार मूल्यांकन कार्यवाही पूर्ण कर निविदाकार का चयन करें।

7. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात की गयी प्रक्रिया का अनुमोदन जिला ई-गवर्नेंस समिति के अध्यक्ष (जिले के प्रभारी मंत्री) द्वारा अनिवार्यत : प्राप्त किया जाए। प्रभारी मंत्री से अनुमोदन पश्चात ही Letter Of Acceptance जारी करने एवं अनुबंध की कार्यवाही की जाए।

अत: तदनुसार निविदा अंतर्गत समस्त कार्यवाही दिनांक 20 अगस्त'2019 तक पूर्ण की जा कर, दिनांक 02 सितम्बर'2019 से नवीन संचालक द्वारा लोक सेवा केन्द्रों का संचालन प्रारंभ किया जाए।

(बी. चंद्रशेखर)
कार्यपालक संचालक
राज्य लोक सेवा अभिकरण

पृ.क्रमांक– 1278 /2019/रालोसेअ/प्रशासन **भोपाल, दिनांक 06 /08/2019**

1. उप-सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला प्रबंधक(लोक सेवा) समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6/8/19
कार्यपालक संचालक
राज्य लोक सेवा अभिकरण